



सत्यमेव जयते

# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ९, अंक ६४(१०)]

मंगळवार, मे १६, २०२३/वैशाख २६, शके १९४५

[पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १७८

### प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले  
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

### सार्वजनिक बांधकाम विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,  
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ मे २०२३.

### अधिसूचना

#### महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम.

क्रमांक खाक्षेस-२०२१/प्र.क्र.२८८(एल.बी.१)-पुर्णा/रस्ते-८.—ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित हे महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम (१९५५ चा ५५) याच्या कलम ४ च्या परंतुकाच्या तरतुदीं अनुसार (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गास जोडणारा जालना ते नांदेड द्रुतगतीमार्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्य महामार्ग (विशेष) क्र. २(अ) यासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त महामार्ग" असा करण्यात आला आहे) महामार्ग प्राधिकरण आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित महामार्ग प्राधिकरणाने उक्त महामार्गाच्या संदर्भात महामार्ग प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र शासनाला विनंती केली आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखित जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) उक्त महामार्गाचे बांधकाम, देखभाल, व्यवस्थापन किंवा कार्यान्वयन यांसाठी आवश्यक एक सार्वजनिक प्रयोजन म्हणून उक्त अधिनियमाच्या तरतुदीं अंतर्गत उक्त महामार्ग प्राधिकरणासाठी, महाराष्ट्र शासनाकडून अधिग्रहित करण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे की, एका सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन ही उक्त महामार्गाचे किंवा त्याच्या काही भागाचे बांधकाम, देखभाल, व्यवस्थापन किंवा कार्यान्वयन यासाठी आवश्यक आहे आणि म्हणून उक्त महामार्ग प्राधिकरणासाठी, पूर्वोक्त प्रयोजनांकरिता, उक्त जमीन संपादित करणे शासनास इष्ट वाटते.

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, १९५५ (१९५५ चा ५५) याच्या कलम १५ च्या पोट-कलम (२) व (३) व कलम १७ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा, आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे,—

(एक) उक्त महामार्गाचे बांधकाम, देखभाल, व्यवस्थापन किंवा कार्यान्वयन करणे यांसाठी उक्त महामार्ग प्राधिकरणासाठी उक्त जमिनीचे संपादन करण्याची घोषणा करीत आहे ;

(१)

(दोन) विनिर्दिष्ट करीत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७ अंतर्गत निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेला प्रतिसाद म्हणून ज्यांच्या हरकती व सूचना यापूर्वीच विचारात घेतल्या आहेत किंवा महामार्ग प्राधिकरणाकडून सुनावणी झाली आहे अशा व्यक्तींखेरीज उक्त जमिनीशी हितसंबंधित कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना **महाराष्ट्र शासन राजपत्रात** प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एकवीस दिवसांच्या आत संबंधित भूसंपादन अधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी, गंगाखेड, जिल्हा परभणी यांच्याकडे उक्त महामार्गाचे बांधकाम, देखभाल, व्यवस्थापन किंवा कार्यान्वयन यासाठीच्या प्रयोजनांसाठी उक्त जमिनीच्या वापराबाबत लेखी व त्याच्या कारणांसह आक्षेप घेऊ शकते.

### अनुसूची

संपादित करावयासाठी उद्देशित असलेल्या जमिनीचे वर्णन

तालुका : पूर्णा

जिल्हा : परभणी

| अ. क्र. | गावचे नाव | गट क्रमांक / सर्व्हे क्रमांक | हिसा क्रमांक | क्षेत्र |       |
|---------|-----------|------------------------------|--------------|---------|-------|
|         |           |                              |              | हेक्टर  | आर    |
| (१)     | (२)       | (३)                          | (४)          | (५)     | (६)   |
| १       | गौर       | ३५                           | -            | ०       | ०५.११ |
| २       | गौर       | ५४८                          | -            | ०       | १७.५६ |
| ३       | गौर       | ५७३                          | -            | ०       | ८३.६४ |
| ४       | गौर       | ५७२                          | -            | ०       | ४५.२४ |
| ५       | गौर       | ५७४                          | -            | ०       | २७.७३ |
| ६       | गौर       | २२                           | -            | ०       | ०३.७४ |
| ७       | गौर       | ३ पुर्ण                      | -            | ०       | ०४.०० |
| ८       | गौर       | २                            | -            | १       | ०५.०७ |
| ९       | गौर       | ४                            | -            | ०       | ४८.५४ |
| १०      | गौर       | ५                            | -            | ०       | ५४.०० |
| ११      | गौर       | ७                            | -            | ०       | ४७.९७ |
| १२      | गौर       | ८                            | -            | ०       | ५९.७१ |
| १३      | गौर       | ९                            | -            | ०       | ३८.४० |
| १४      | गौर       | १४                           | -            | ०       | ३३.७६ |
| १५      | गौर       | ९७                           | -            | ०       | ०८.४३ |
| १६      | गौर       | १९                           | -            | ०       | ०५.१६ |
| १७      | गौर       | ६४                           | -            | ०       | ४३.५३ |
| १८      | गौर       | ७५                           | -            | १       | ९८.४१ |
| १९      | गौर       | ६३                           | -            | ०       | ०३.१८ |
| २०      | गौर       | ६२                           | -            | ०       | ००.७७ |
| २१      | गौर       | ७४                           | -            | ०       | ३६.१६ |
| २२      | गौर       | ५८                           | -            | ३       | ५६.७८ |
| २३      | गौर       | ७३                           | -            | ०       | २६.५२ |
| २४      | गौर       | ७२                           | -            | ०       | २५.९२ |
| २५      | गौर       | ७६                           | -            | ०       | ४०.६२ |

| अ. क्र. | गावचे नाव | गट क्रमांक / सर्व्हे क्रमांक | हिसा क्रमांक | क्षेत्र |       |
|---------|-----------|------------------------------|--------------|---------|-------|
|         |           |                              |              | हेक्टर  | आर    |
| (१)     | (२)       | (३)                          | (४)          | (५)     | (६)   |
| २६      | गौर       | ८१                           | -            | ०       | २३.९६ |
| २७      | गौर       | ८०                           | -            | ०       | ३८.२८ |
| २८      | गौर       | ७९                           | -            | ०       | २७.४६ |
| २९      | गौर       | ७८                           | -            | ०       | ३३.२८ |
| ३०      | गौर       | ८२                           | -            | ०       | १७.८५ |
| ३१      | गौर       | ८३                           | -            | ०       | १९.१३ |
| ३२      | गौर       | ८४                           | -            | ०       | १३.६३ |
| ३३      | गौर       | ६८                           | -            | ०       | २३.७६ |
| ३४      | गौर       | ७०                           | -            | ०       | २२.५६ |
| ३५      | गौर       | ६९                           | -            | ०       | ०२.३३ |
| ३६      | गौर       | ७१                           | -            | ०       | २१.५६ |
| ३७      | गौर       | १७                           | -            | ०       | १५.४४ |
| ३८      | गौर       | १५                           | -            | ०       | १९.१२ |
| ३९      | गौर       | १                            | -            | ०       | ५३.१४ |
| ४०      | गौर       | ५९४                          | -            | ०       | ३९.६२ |
| ४१      | गौर       | ५९३                          | -            | ०       | २२.३० |
| ४२      | गौर       | ५९२                          | -            | ०       | २०.६० |
| ४३      | गौर       | ५८४                          | -            | ०       | ३३.६८ |
| ४४      | गौर       | ५८३                          | -            | ०       | २६.५३ |
| ४५      | गौर       | ५६६                          | -            | ०       | २२.७५ |
| ४६      | गौर       | ५६५                          | -            | ०       | १४.०१ |
| ४७      | गौर       | ५६०                          | -            | ०       | ३५.६४ |
| ४८      | गौर       | ५८६                          | -            | ०       | २७.८० |
| ४९      | गौर       | ५६९                          | -            | ०       | ०२.४१ |
| ५०      | गौर       | ५७०                          | -            | ०       | १२.२२ |
| ५१      | नन्हापुर  | ३५                           | -            | ०       | १५.११ |

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संजय द. दशपुते,  
शासनाचे सचिव.

**PUBLIC WORKS DEPARTMENT**

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,  
Mumbai 400 032, dated the 16th May 2023.

**NOTIFICATION****MAHARASHTRA HIGHWAYS ACT.**

No. PPP-2021/C.R.288(L.B.1)-Purna/Road-8.— Whereas, the Maharashtra State Road Development Corporation Limited is the Highway Authority for the State Highway (Special) No. 2A to be known as the Jalna-Nanded Expressway Connector to Hindu Hridayasamrat Balasaheb Thackeray Maharashtra Samruddhi Mahamarg (hereinafter referred to as “the said Highway”) as per the provisions of the proviso to section 4 of the Maharashtra Highways Act (LV of 1955) (hereinafter referred to as “the said Act”);

And whereas, the Maharashtra State Road Development Corporation Limited, being the Highway Authority, in respect of the said Highway, has requested the Government of Maharashtra that, the land mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “the said land”), required by it for the building, maintenance, management or operation of the said Highway, being for the public purpose, be acquired by the Government of Maharashtra for the said Highway Authority under the provisions of the said Act;

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that, for the public purpose, said land is required for the building, maintenance, management or operation of the said Highway or part thereof and therefore considers it expedient to acquire the said land for the aforesaid purposes for the said Highway Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 15 read with section 17 of the Maharashtra Highways Act (LV of 1955), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby,—

(i) declares its intention to acquire the said land for the said Highway Authority for the building, maintenance, management or operation of the said Highway;

(ii) specifies that any person interested in the said land, other than the persons whose objections or suggestions have already been considered or heard by the Highway Authority in response to the notification issued under section 7 of the said Act, may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the *Maharashtra Government Gazette*, object to the use of the said land for the purposes of the building, maintenance, management or operation of the said Highway, in writing and stating the grounds thereof, to the Sub-Divisional Officer, Gangakhed, District Parbhani, being the concerned Land Acquisition Officer.

**SCHEDULE**

Description of land intended to be acquired

Taluka -Purna

District - Parbhani

| Sr. No. | Village Name | Gut No./<br>Survey No. | Hissa<br>Number | Area In |       |
|---------|--------------|------------------------|-----------------|---------|-------|
|         |              |                        |                 | Hectare | Are   |
| (1)     | (2)          | (3)                    | (4)             | (5)     | (6)   |
| 1       | Gaur         | 35                     | -               | 0       | 05.11 |
| 2       | Gaur         | 548                    | -               | 0       | 17.56 |
| 3       | Gaur         | 573                    | -               | 0       | 83.64 |
| 4       | Gaur         | 572                    | -               | 0       | 45.24 |
| 5       | Gaur         | 574                    | -               | 0       | 27.73 |

| Sr. No. | Village Name | Gut No./<br>Survey No. | Hissa<br>Number | Area In |       |
|---------|--------------|------------------------|-----------------|---------|-------|
|         |              |                        |                 | Hectare | Are   |
| (1)     | (2)          | (3)                    | (4)             | (5)     | (6)   |
| 6       | Gaur         | 22                     | -               | 0       | 03.74 |
| 7       | Gaur         | 3 Complete             | -               | 0       | 04.00 |
| 8       | Gaur         | 2                      | -               | 1       | 05.07 |
| 9       | Gaur         | 4                      | -               | 0       | 48.54 |
| 10      | Gaur         | 5                      | -               | 0       | 54.00 |
| 11      | Gaur         | 7                      | -               | 0       | 47.97 |
| 12      | Gaur         | 8                      | -               | 0       | 59.71 |
| 13      | Gaur         | 9                      | -               | 0       | 38.40 |
| 14      | Gaur         | 14                     | -               | 0       | 33.76 |
| 15      | Gaur         | 97                     | -               | 0       | 08.43 |
| 16      | Gaur         | 19                     | -               | 0       | 05.16 |
| 17      | Gaur         | 64                     | -               | 0       | 43.53 |
| 18      | Gaur         | 75                     | -               | 1       | 98.41 |
| 19      | Gaur         | 63                     | -               | 0       | 03.18 |
| 20      | Gaur         | 62                     | -               | 0       | 00.77 |
| 21      | Gaur         | 74                     | -               | 0       | 36.16 |
| 22      | Gaur         | 58                     | -               | 3       | 56.78 |
| 23      | Gaur         | 73                     | -               | 0       | 26.52 |
| 24      | Gaur         | 72                     | -               | 0       | 25.92 |
| 25      | Gaur         | 76                     | -               | 0       | 40.62 |
| 26      | Gaur         | 81                     | -               | 0       | 23.96 |
| 27      | Gaur         | 80                     | -               | 0       | 38.28 |
| 28      | Gaur         | 79                     | -               | 0       | 27.46 |
| 29      | Gaur         | 78                     | -               | 0       | 33.28 |
| 30      | Gaur         | 82                     | -               | 0       | 17.85 |
| 31      | Gaur         | 83                     | -               | 0       | 19.13 |
| 32      | Gaur         | 84                     | -               | 0       | 13.63 |
| 33      | Gaur         | 68                     | -               | 0       | 23.76 |
| 34      | Gaur         | 70                     | -               | 0       | 22.56 |
| 35      | Gaur         | 69                     | -               | 0       | 02.33 |
| 36      | Gaur         | 71                     | -               | 0       | 21.56 |
| 37      | Gaur         | 17                     | -               | 0       | 15.44 |
| 38      | Gaur         | 15                     | -               | 0       | 19.12 |
| 39      | Gaur         | 1                      | -               | 0       | 53.14 |
| 40      | Gaur         | 594                    | -               | 0       | 39.62 |
| 41      | Gaur         | 593                    | -               | 0       | 22.30 |
| 42      | Gaur         | 592                    | -               | 0       | 20.60 |
| 43      | Gaur         | 584                    | -               | 0       | 33.68 |
| 44      | Gaur         | 583                    | -               | 0       | 26.53 |
| 45      | Gaur         | 566                    | -               | 0       | 22.75 |
| 46      | Gaur         | 565                    | -               | 0       | 14.01 |

| Sr. No. | Village Name | Gut No./<br>Survey No. | Hissa<br>Number | Area In |       |
|---------|--------------|------------------------|-----------------|---------|-------|
|         |              |                        |                 | Hectare | Are   |
| (1)     | (2)          | (3)                    | (4)             | (5)     | (6)   |
| 47      | Gaur         | 560                    | -               | 0       | 35.64 |
| 48      | Gaur         | 586                    | -               | 0       | 27.80 |
| 49      | Gaur         | 569                    | -               | 0       | 02.41 |
| 50      | Gaur         | 570                    | -               | 0       | 12.22 |
| 51      | Narahapur    | 35                     | -               | 0       | 15.11 |

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJAY D. DASHPUTE,  
Secretary to Government.